INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

HARIOM VERMA
Stamp Vendor
Licence No.:- 15
E-Stamping Acc-ID UP-14556404
Kailashpuri, Agra

Certificate No.	:	IN-UP72554737819586V
Certificate Issued Date	:	29-Mar-2023 12:13 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14556404/ AGRA SADAR/ UP-AGR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14556404392424618400017V
Purchased by	:	JAY GURUDEV DHARAM PRACHAR SANSTHA MATHURA
Description of Document	:	Article 19 Certificate or other Document
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	JAY GURUDEV DHARAM PRACHAR SANSTHA MATHURA
Second Party	:	UPRFSC
Stamp Duty Paid By	:	JAY GURUDEV DHARAM PRACHAR SANSTHA MATHURA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Please write or type below this line

यह [illegible] स्टाम्प पेपर जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था,

दिया मथुरा फाइल नं० 7-55377 के वास्ते [illegible] है।

संस्था० नियमावली

प्रधान सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
6/4/23

Statutory Alert:

1. [illegible] e-Stamp Mobile App of Stock Holding [illegible] Mobile App renders it invalid
2. [illegible] of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. [illegible] competent authority

Scanned with CamScanner

(173)

जयगुरुदेव

संशोधित नियमावली-2009

जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, मथुरा

1— **संस्था का नाम :**

इस संस्था का नाम "जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था" है।

2— **संस्था का पूरा पता :**

इस संस्था का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में है जिसका पता :
जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था
जयगुरुदेव योगस्थली
आगरा दिल्ली बाई पास महोली, मथुरा–281004(उ.प्र.) भारत है।

3— **परिभाषायें**

"जयगुरुदेव"

"जयगुरुदेव" नाम प्रभु का है परम् पूज्य परम् सन्त स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस नाम को जगाया है एवं इसका प्रचार करते हैं। गुरु का नाम लेना महापातकों में गिना जाता है। अतः उनके शिष्यगण उन्हें परम् पूज्य स्वामी जी महाराज अथवा श्रद्धासूचक विशेषण "बाबा जयगुरुदेव जी महाराज या स्वामी जी" लगाकर 'अभिहित' और सम्बोधित करते है। अतः नियमावली के संदर्भ में इस नाम का अभिहितार्थ परम् पूज्य परम् सन्त स्वामी तुलसीदास जी महाराज से है।

"सन्तमत की मुख्य परिभाषा" :–

'सन्तमत–गत', जिस रास्ते से जीवात्मा उतारकर मृत्युलोक में लायी गयी, वहीं वापस जाने का रास्ता पकड़ाता है जिससे जीवात्मा अपने अमर लोक में परम् पिता सर्वाधार स्वामी के पास पहुच जाये। इसी को सन्तमत में सुरत शब्द–योग' अभ्यास कहते है। सभी मानव प्राणियो से, जो इस लायक होता है, सुरत शब्द–योग की साधना करायी जाती है। इसी को नाम योग साधना कहते है। सन्तमत प्रभु प्राप्ति के मार्ग में शारीरिक इन्द्रियो की वासनाओं, मन, बुद्धि, चित्त की चंचलताओ, काम, क्रोध, अहंकार की बाधाओ को धीरे–धीरे हटाकर सुरत को "नाम" के साथ जोडता है। इसी "नाम" की साधना को मुसलमान आसमानी आवाज, कलमा, आयतें कहते है। हिन्दू इसी नाम योग साधना को देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, अनहदवाणी कहते है जिसमें सुरत (आत्मा) मनुष्य रूपी मकान में जागकर पूर्ण स्थिति को प्राप्त करती है अर्थात् ईश्वर, ब्रह्म, पारब्रह्म के दर्शन, दीदार करती हुई अपने घर सत्तलोक पहुंच जाती है। सन्तमत की परिभाषा में इसी नाम की साधना को सुरत-शब्द-योग, ईश्वरीय विद्या कहते हैं। दो विद्यायें– एक भौतिक बुद्धि विद्या, दूसरी आध्यात्मिक विद्या। इस ईश्वरीय विद्या को जानने वाले ही सन्तमत में सन्त सत्गुरु कहे जाते हैं और शिष्यों को इसी नामयोग (ईश्वरीय विद्या) की शिक्षा देकर नाम–योग साधना कराते हैं। यही सच्ची परिभाषा संतमत की है। विश्व में भौतिक और आध्यात्मिक विद्या में सन्त सत्गुरु परिपक्व हैं इसलिए वही हमारी संभाल भौतिक और आध्यात्मिक अड़चनों को दूर करके कर सकते हैं। इसलिए इस मत में संत सत्गुरु को सर्वेसर्वा माना जाता है और हम भी मानते है।

'जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था' :–

इसका तात्पर्य जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था आगरा दिल्ली बाई पास महोली, मथुरा–281004 (उ.प्र.) में स्थित संस्था से है। नियमावली में जहां–जहां मात्र संस्था शब्द का उल्लेख है उससे भी यही अभिप्रेत है।

सदस्य :–

सदस्य का अर्थ परम् पूज्य स्वामी तुलसीदास जी महाराज उपाख्य बाबा जयगुरुदेव जी महाराज द्वारा नामदान पाये स्त्री–पुरुषों से है तथा परम् पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा नामित विभिन्न समितियों के सदस्यों से भी है।

Dharam Pracharak Sanstha MATHURA

अध्यक्ष
जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था
मथुरा

महामंत्री
जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था
मथुरा

जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, मथुरा
कोषाध्यक्ष

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

54-23

'जयगुरुदेव संगत' :-
इसका अर्थ प्रान्त स्तरीय, जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय, ब्लाक स्तरीय और ग्राम स्तरीय एवं अन्य स्तरीय जयगुरुदेव संगतों से है।

4-'संस्था का कार्य क्षेत्र' :-
जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था अखिल भारतीय स्तर की संस्था है। परन्तु भारत से सुदूर चतुर्दिक यह संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संसार की सेवा करती है और करती रहेगी।

5- संस्था का मुख्य उद्देश्य :
यह सन्तमत की संस्था है। सन्तमत की साधना का मुख्य उद्देश्य 'नामदान' देने के पहले मानव को शाकाहारी बनाना, बुद्धिनाशक, नशीली वस्तुओं का पूर्णतया परित्याग कराकर नैतिक चरित्र लाना चोरी, डकैती, कत्ल, झूठे मुकदमे/ झूठी गवाहियां, आन्दोलन, तोड़फोड़ और हड़ताल जैसे अमानवीय कृत्यों से बचाव करना होगा। सन्तमत में परस्पर प्रेम, दया, सेवा, अनुशासन, आदर, मानव मात्र से प्यार करना तथा बुरी संगतों से बचाव पर विशेष बल दिया गया है। ऐसा दुर्गुण वर्जित, सद्गुण आप्लावित मानव 'नामदान' लेता है तो साधना में जल्दी सफलता प्राप्त होती है। 'नामदान' देकर सुरत-शब्द योग अभ्यास कराया जाता है। साधक को गृहस्थ आश्रम में रखा जाता है। खेती, दूकान, दफ्तर के काम, ईमानदारी-मेहनत के साथ कराये जाते हैं और बाल-बच्चों में रहकर बच्चों की सेवा करायी जाती है। इसी से सम्बन्धित, मानव के सद्गुण जो नाम-योग साधना में सहायक होते हैं, कराये जाते हैं। इसी के साथ ही राष्ट्र, राजनियमों का पालन कराया जाता है। मुख्य गुरु-भक्ति, गुरू आदेशों का पालन, जिससे साधक अपनी साधना में गिर न जाये, सन्तमत का प्रधान लक्ष्य है।

इसके साथ भौतिक उद्देश्यों में परिवार, समाज और राज्य तथा धार्मिक संस्थाओं के भौतिक उद्देश्य जैसे स्कूल खोलना, बीमारों को निःशुल्क दवा देना, लंगड़े लूले भूखों को मुफ्त भोजन देना अन्य भौतिक कार्य, राज्य सरकारों को राजनियम पालन कराने में जनता द्वारा सहयोग कराना, छोटी बड़ी जातियों की संकीर्ण जातिगत विचार धारा न रखना, उनको मानव समझकर मानवता की सेवा करना, सवर्ण और अवर्ण की शिक्षा देना। सवर्ण जो ज्ञानी होते हैं, अवर्ण-अज्ञानियों को परिवार, समाज, राष्ट्र और धर्म की शिक्षा देना, मानव की हिंसक प्रवृत्तियों को बदलना आदि कार्यो द्वारा मानव की सेवा करना, अपराधी बुद्धि, पारिवारिक अपराधी बुद्धि, सामाजिक अपराधी बुद्धि, राज अपराधी बुद्धि और धर्म की अपराधी बुद्धि घोर अधंकार को हटाना और मानवता की पहचान कराना जिससे सबमें मोहब्बत प्यार हो, सभी मनुष्य एक दूसरे के काम आयें और अपने-अपने देवताओं की उचित प्रक्रिया द्वारा मान्यता कराना आदि सन्तमत का उद्देश्य है।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्न कार्य करना भी संस्था का उद्देश्य है:-

1- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था की उन्नति के लिए निःशुल्क चिकित्सालय खोलना, निःशुल्क पेयजल की आपूर्ति करना, दहेज रहित विवाह सम्पन्न कराना एवं आवश्यकतानुसार अन्य धर्मादा कार्य करना।
2- गोशाला की स्थापना, संचालन तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्यो को करना, धर्मार्थ पशु चिकित्सालय खोलना।
3- दैवी आपदा की स्थिति में आंपदा पीड़ितों की सहायता करना और उनको राहत पहुंचाना।
4- अध्यात्मवाद के प्रचार-प्रसार, समाज सुधार व मद्यनिषेध व शाकाहार के लिए जन जागरण व धर्म यात्राएं निकालना, सत्संग, साधना व प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना, आवश्यकतानुसार पत्र-पत्रिकाओं, प्रचार साहित्य का प्रकाशन करना व वाचनालय खोलना।

अध्यक्ष
जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था
मथुरा

महामंत्री
जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था
मथुरा

जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, मथुरा
कोषाध्यक्ष

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
05-11-23

Scanned with CamScanner

(3)

114

6. सदस्यता :

(क) पात्रता :

जाति, धर्म, सम्प्रदाय, नागरिकता आदि की सीमा से ऊपर उठकर कोई स्त्री–पुरुष परम् पूज्य स्वामी जी महाराज 'बाबा जयगुरुदेव जी महाराज' द्वारा दीक्षित नामदानी तथा संस्था के उद्देश्यों व सिद्धान्तों का पूर्ण रूपेण पालन करने वाला ही इस संस्था का सदस्य होगा। सदस्य का शाकाहारी, मद्यपान रहित तथा अन्य नशीली वस्तुओं के सेवन से मुक्त होना परमआवश्यक है।

(ख) सदस्यों के प्रकार तथा शुल्कः

संस्था के तीन प्रकार के सदस्य होंगे जो इस प्रकार हैं :

1– नामदानी सदस्य :

परम् पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा 'नामदान' पाये स्त्री–पुरुष नामदानी कहे जायेंगे इनका सदस्यता शुल्क रू. 5/– पांच रूपये वार्षिक होगा।

2– प्रबन्धक सदस्य :

बाबा जयगुरुदेव द्वारा नामदान पाये स्त्री पुरुषों में से उनके द्वारा नामित संस्था की प्रबन्ध समिति के सदस्य प्रबन्धक सदस्य होंगे जिनकी वार्षिक सदस्यता शुल्क रू. 100/– (एक सौ रूपये) होगी।

3– सामान्य सभा सदस्य :

परम् पूज्य बाबा जयगुरुदेव जी महाराज द्वारा नामित समस्त प्रान्तीय संगतों के अध्यक्ष, जिला संगतों के अध्यक्ष एवं अन्य नामित सदस्य संस्था की सामान्य सभा के सदस्य होंगे जिनकी वार्षिक सदस्यता शुल्क रू0 50/– (पचास रूपये) होगी। संस्था की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी व सदस्य सामान्य सभा के पदेन पदाधिकारी एवं सदस्य होंगे।

7– सदस्यता की समाप्ति :

1– सन्तमत में सर्वोपरि गुरू ही, शिष्यों की, पदाधिकारियों की निगरानी करते हैं। पदाधिकारी संस्था के अनुकूल जो नियम बताये गये हैं उनके अनुसार काम कर रहे हैं अथवा नहीं, यह गुरु ही देखते हैं। पदाधिकारी एक दूसरे के काम की चाहे वह अच्छा हो या बुरा, गुरू को अर्थात् संस्था अध्यक्ष को सूचना दें कि इस जिला विशेष में सन्तमत की व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति विशेष काम नही कर रहे हैं, उसकी जांच–पडताल कर ली जाय। प्रत्येक पदाधिकारी का, एक दूसरे की सूचना अध्यक्ष को देना अनिवार्य है, चाहे वह सूचना अच्छी हो या बुरी।

अध्यक्ष इसकी जांच–पडताल कर लेंगे, उसी के अनुसार चाहे हटायें या गल्तियों का सुधार कर दें, यह अध्यक्ष को ही अधिकार है, किसी अन्य पदाधिकारी को नहीं क्योंकि यह राजनैतिक संस्था नहीं है। इसमें विशेषकर मोहब्बत–प्यार, सेवा, आदर, सुरत–शब्द योग की साधना का जो ढंग निर्धारित है उसमें कोई बाधा न हो इसलिए अध्यक्ष इसका निर्णय करेंगे। कोई भी नामदानी नामदान लेकर कुछ दिनों तक सेवा भाव भक्ति से किया और किसी कार्य की जिम्मेदारी दी गयी तो जिम्मेदारी छोडकर चला जाय या काम करना न चाहे तो उसे पद से अध्यक्ष द्वारा हटा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त निम्न स्थितियों में सदस्य की सदस्यता अध्यक्ष द्वारा समाप्त कर दी जायेगी :–

2– सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।

3– त्याग–पत्र देने पर।

4– मानसिक सन्तुलन बिगड़ जाने पर।

5– संस्था के अहित के कार्य में संलग्न रहने या संस्था कार्य में कपट करने पर।

6– सक्षम न्यायालय द्वारा सदस्य को दुराचरण के प्रति या अन्य नैतिक अधःपतन की धाराओं में दण्डित किये जाने पर।

7– अनुन्मुक्त दीवालिया घोषित होने पर।

अध्यक्ष
जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था
मथुरा

महामंत्री
जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था
मथुरा

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्या॰ उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
6/5/23

8– सदस्यता की पात्रता के विरूद्ध आचरण करने पर।
9– एक वर्ष तक संस्था के कार्यों में रूचि न लेने, सदस्यता शुल्क भुगतान न करने तथा उचित कारण के बिना लगातार तीन बैठकों में भाग न लेने पर।
10– अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय अननुमोदित हो जाने पर।
11– संस्था के प्रत्येक पदाधिकारी/सदस्य का पद अध्यक्ष के प्रसाद पर्यन्त ही वैध रहेगा।

8– संस्था का संगठनात्मक स्वरूप :–
संस्था का संगठनात्मक स्वरूप इस प्रकार होगा–
अ – सामान्य सभा
ब – संस्था की प्रबन्ध समिति
स – सम्बद्ध, अन्य संगतें

9– सामान्य सभा का गठन, बैठकें, गणपूर्ति एवं कार्य:–
(क) गठनः
प्रबन्ध समिति के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य, सामान्य सभा के पदेन पदाधिकारी एवं सदस्य होगे। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष द्वारा मनोनीत प्रान्तस्तरीय एवं जिला संगतो के अध्यक्ष सामान्य सभा के सदस्य होगे। कार्यकर्ताओं की कुशलता एवं आवश्यकतानुसार अन्य सदस्य भी अध्यक्ष द्वारा सामान्य सभा के सदस्य मनोनीत किये जा सकेंगे।
(ख) बैठकें:–
सामान्य सभा की बैठक प्रति वर्ष संस्था मुख्यालय, मथुरा में सुख्यात अगहन सुदी दसमी को निश्चित अवसर पर आयोजित होने वाले सुख्यात वार्षिक भण्डारे के कार्यक्रम में हुआ करेगी। आवश्यकता होने पर अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य समय व स्थान पर पन्द्रह दिन पूर्व लिखित सूचना डाक द्वारा या अन्य माध्यमों से सभी सदस्यो को भेजकर भी सामान्य सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकेगी।
(ग) गणपूर्ति (कोरम)
सामान्य सभा के सदस्यों की गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या का 1/5 होगी। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई बैठक में पचास सदस्यों की गणपूर्ति पर्याप्त होगी।
(घ) सामान्य सभा के कार्य:–
1– प्रबन्ध समिति द्वारा किये गये कार्यों की वार्षिक समीक्षा करना एवं परामर्श देना, प्रबन्ध समिति तथा उपसमितियों/संचालन बोर्ड का अनुमोदन करना एवं संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति तथा कार्यों में सहयोगी भूमिका निभाना।
2– संस्था की नियमावली, उद्देश्यों में प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधन, परिवर्तन, योग, कमी, एकीकरण आदि को 3/5 सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत हेतु अनुमोदित करना।

Dharam Prachorak Sanstha MATHURA

अध्यक्ष
जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था
मथुरा

10– प्रबन्ध समिति का गठन, बैठकें व कार्यकाल:–
(क) संस्था के संचालन के लिए एक प्रबन्ध समिति होगी जिसका गठन निम्न प्रकार होगा –
(1) प्रबन्ध समिति में एक अध्यक्ष होगे जो निर्वाध रूप से परम् पूज्य स्वामी तुलसी दास जी महाराज होंगे।
(2) संस्था के संचालन के लिए प्रबन्ध समिति का गठन संस्था के सदस्यों में से संस्था अध्यक्ष परम् पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा नामांकन द्वारा होगा।
(3) प्रबन्ध समिति में अध्यक्ष को छोड़कर अधिक से अधिक 80 सदस्य होंगे। यह सदस्य प्रायः भारत के हर प्रान्तों में जहाँ-जहाँ संस्था के सदस्य हैं उनमें से अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे, साथ ही अध्यक्ष यदि चाहें तो सन्तमत में विश्वास करने वालों को भी समिति में सलाह

महामंत्री
जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था
मथुरा

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
6514-23

मशविरा के लिये आमेलित कर सकते हैं लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) प्रबन्ध समिति का कार्यकाल तीन वित्तीय वर्ष का होगा। नये गठन तक प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी।

(5) प्रबन्ध समिति बीस सदस्यों के स्थान रिक्त होने पर भी कार्य संचालन मे सक्षम रहेगी।

(6) प्रबन्ध समिति की बैठक साधारणतया संस्था मुख्यालय पर भण्डारे, होली, एवं गुरूपूर्णिमा पर होगी। परन्तु आवश्यकतानुसार अधिक बार भी एवं अन्य स्थानों पर भी बुलाई जा सकेगी।

(7) संस्था की ओर से पन्द्रह दिन पूर्व लिखित सूचना डाक या पत्रवाहक द्वारा भेज देने पर प्रबन्ध समिति की बैठक हो सकेगी। आवश्यकता पड़ने पर सात दिन पूर्व तार आदि द्वारा सूचना भेजकर बैठक आहूत की जा सकेगी।

(ख) कोरम (गणपूर्ति)

प्रबन्ध समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 1/5 सदस्यों, की उपस्थिति में बैठक की कार्यवाही हो सकेगी। कोरम के अभाव में स्थगित की गई बैठक की दुबारा बैठक का कोरम पन्द्रह सदस्यों का होगा।

(ग) प्रबन्ध समिति के अधिकार और कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :–

1– संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन संग्रह करना, योजनायें बनाना, बजट निश्चित करना, प्रबन्ध समिति के सदस्यों में से उपस्थानों के लिए परम् पूज्य स्वामी जी महाराज संस्था अध्यक्ष को परामर्श देना व उनके निर्देशानुसार प्रबन्ध उपसमितियों का गठन करना तथा उनके अधिकार व कर्तव्य निर्धारित करना एवं अन्य वांछित व्यवस्थायें करना।

2– संस्था मुख्यालय पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला वार्षिक भण्डारा मेला, होली, गुरूपूर्णिमा तथा अन्य आयोजनों की व्यवस्था करना एवं देश के अन्य भागों में आवश्यकतानुसार सतसंग आयोजनो की व्यवस्था करना एवं मार्गदर्शन देना।

3– संस्था की सम्पत्ति के क्रय, प्रकाशन, किराया आदि की दर संस्था अध्यक्ष परम् पूज्य स्वामी जी महाराज के निर्देशन में निर्धारित व स्वीकार करना, ठेके पर किये जाने वाले कार्य की शर्तों व दर की स्वीकृति देना।

4– संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना व उस पर नियन्त्रण रखना।

5– संस्था की योजनाओं, उपस्थानों में किये गये कार्यों की प्रगति तथा व्यय की रिपोर्ट पर विचार एवं संस्तुति करना तथा संस्था अध्यक्ष परम् पूज्य स्वामी जी महाराज के संज्ञान में लाना।

6– संस्था की सम्पत्ति का आर्थिक विवरण खाते आदि का अंकेक्षण करने के लिए आडिटर (सनदि लेखापाल) की नियुक्ति हेतु संस्तुति करना एवं आडिट रिपोर्ट से संस्था अध्यक्ष परम् पूज्य स्वामी जी महाराज को अवगत कराना।

7– संस्था के उद्देश्यों या नियमावली में प्रस्तावित संशोधन, परिवर्धन, कमी, योग और एकीकरण पर विचार कर उसे सामान्य सभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना।

8– संस्था द्वारा ऋण लेने व देने तथा अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों को सहयोग देने या उनसे सहयोग लेने पर विचार करना तथा इस प्रकार प्राप्त धनराशि के सदुपयोग की अध्यक्ष के निर्देश से रूपरेखा निर्धारित करना।

9– संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अध्यक्ष की आज्ञानुसार उपनियम बनाना तथा उनका क्रियान्वयन करना। आवश्यकतानुसार उन कार्यों को

Jaigurudev Dharam Pracharak Sanstha MATHURA

अध्यक्ष
जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था
मथुरा

महामंत्री
जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था
मथुरा

जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, मथुरा

सत्य प्रतिलिपि

कोषाध्यक्ष

प्रधान सहायक
कार्या० उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
5-4-23

भी अध्यक्ष की आज्ञा से करना जिनका उल्लेख नियमावली में नहीं किया गया है।

117

11— सम्बद्ध/अन्य संगतें :—

संस्था सदस्यों में से जिन राज्यों में संस्था कार्यों का विस्तार है और होगा आवश्यकतानुसार अध्यक्ष द्वारा उन राज्यों में विभिन्न सांगठनिक स्तरों पर अध्यक्ष मनोनीत किये जायेंगे तथा प्रान्त, जिलों व अन्य स्तरों पर अध्यक्षों के नेतृत्व में संस्था सदस्यों में से ग्यारह या उपयुक्त संख्या में जयगुरुदेव संगतों का गठन किया जायेगा। यह संगतें स्वतन्त्र इकाई के रूप में अपने प्रान्त व जिलों के अन्तर्गत संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्रमों एवं अध्यक्ष की धर्म यात्राओं का प्रचार—प्रसार व प्रबन्ध करेंगी। संस्था उन पर अपना सामान्य नियन्त्रण रखेगी व मार्ग दर्शन देगी।

12— पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :—

(अ) अध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य—

1— यह संस्था संतमत की संस्था है। सन्तमत में गुरु का स्थान सर्वोपरि, अक्षुण्ण एवं अच्युत होता है। इसमें 'सुरत शब्द योग मार्ग' के अभ्यास द्वारा गुरु की कृपा से प्रभु का साक्षात्कार कराया जाता है। यह कार्य सत्गुरु महात्मा द्वारा ही सम्भव है। यह स्थान गुरु के अतिरिक्त कोई नहीं ले सकता।

अतः संस्था के संस्थापक अध्यक्ष परम् पूज्य स्वामी जी उपाख्य बाबा 'जयगुरुदेव जी महाराज' संस्था के आजीवन अध्यक्ष, सर्वपूज्य, सर्वानुमत, सर्वेसर्वा होंगे। इसके अतिरिक्त यह इस संस्था की विभिन्न समितियों/उपसमितियों के अध्यक्ष एवं सर्वेसर्वा होंगे। संस्था के समस्त कार्य विभिन्न समितियों/उपसमितियों द्वारा उनके मार्ग निर्देशन में संचालित होंगे संस्था के सम्बन्ध में संस्था के क्रियाकलापों के बारे में, संस्था के वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों में परम् पूज्य बाबा जयगुरुदेव जी महाराज के निर्णय अन्तिम होंगे तथा उनके निर्णय के विरुद्ध कोई विवाद किसी प्रकार के न्यायालय में न तो उठाया जा सकेगा और न ही ऐसे किसी विवाद को सुनने, विचार करने एवं निर्णय देने के लिए कोई न्यायालय अर्ह होगा। इसके अतिरिक्त भी अध्यक्ष के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य और होंगे।

2— संस्था की प्रबन्ध समिति, सामान्य सभा, समितियों, उपसमितियों, उपसंस्थानों एवं संगतों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का मनोनयन तथा गठन करना।

3— संस्था की प्रबन्ध समिति, सामान्य सभा, समितियों तथा उपसमितियों, उपसंस्थानों की बैठकों की अध्यक्षता करना, समस्त प्रकार की प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था करना एवं दिशा निर्देश देना।

4— संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किये गये कार्यों पर व्यय करना और व्यय की स्वीकृति देना तथा उन समस्त अधिकारों का उपभोग करना जिनका उल्लेख संस्था नियमावली में किया गया है।

5— संस्था के कार्यों के लिए पदाधिकारियों, अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति मनोनयन तथा पदच्युति करना।

6— संस्था के किसी पदाधिकारी का स्थान रिक्त हो जाने पर प्रबन्ध समिति के सदस्यों में से पदाधिकारी नियुक्त करना तथा सामान्य सभा, प्रबन्ध समिति के सदस्यों का मनोनयन एवं आवश्यकतानुसार पदस्थापन, पदच्युति करना।

7— समान उद्देश्य वाली धर्मादा संस्थाओं के कार्यों में स्वविवेक से दान देना एवं उनसे लेना। संस्था, सत्संग तथा संतमत के प्रचार प्रसार हेतु

Dharam Pracharak Sanstha MATHURA

अध्यक्ष जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा

महामंत्री जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा

जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, मथुरा

कोषाध्यक्ष

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक

कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स आगरा क्षेत्र, आगरा

05/4/23

Scanned with CamScanner

दान (अर्थ, द्रव्य, धातु एवं वस्तु के रूप में) सेवा लेना तथा व्यय करना।

8– आश्रम के निर्माण तथा अस्पताल, स्कूल, गोशाला, पशुचिकित्सालय आदि के भवन निर्माण हेतु, बच्चों की पुस्तकें, कॉपियां व वर्दियां, निःशुल्क पानी की सप्लाई तथा निःशुल्क दवा वितरण आदि हेतु इन जनहितों में जो भी सत्संगी, गैर सत्संगी दान देना चाहे उसे लिया जायेगा अथवा सत्संगियों से कहा जायेगा कि वह इसमें स्वेच्छा से दान दें। अर्थ एवं वस्तु के रूप में एवं द्रव्य धातु के रूप में भी उसे लिया जायेगा। सभी संस्थायें याचना करने पर जनता से सार्वजनिक कार्यों के लिए दान देने वाले की इच्छा पर दान लेती रही है। ऐसे दान लेने का अध्यक्ष को अधिकार होगा।

9– इस नियमावली के अनुसार सभी कार्यों को करना व कराना तथा संस्था हितों में वे सभी अपेक्षित कार्य करना जिनका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है।

10– दैवी आपदा के समय आपदा पीड़ितों की सहायता की व्यवस्था कराना।

11– संस्था की भूमि / संपत्तियों के विक्रय हेतु नियमानुसार स्वीकृति देना।

12– संतमत में गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है। परम् पूज्य स्वामी जी गुरु महाराज जिसका नाम खोलेगे वही नामदान देने का अधिकारी होगा और वही अध्यक्ष होगा।

(ब) उपाध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य–

अध्यक्ष, और प्रबन्ध समिति द्वारा सौंपे गये कार्यों का निर्वहन करना।

(स) महामंत्री के अधिकार व कर्तव्य–

1– अध्यक्ष के नियंत्रण में रहना तथा अध्यक्ष की आज्ञा का अक्षरशः पालन करना।

2– संस्था की बैठकों, सभाओं, संस्था समारोहों एवं आयोजनों की अध्यक्ष की आज्ञानुसार तिथि, समय, स्थान आदि की सूचना देना एवं व्यवस्था करना।

3– सभा इत्यादि की कार्यवाहियों के लिए अध्यक्ष के आदेशानुसार विचारणीय व प्रस्तावित विषय रखना तथा कार्यवाहियों तथा निर्णय के विवरण को लिपिबद्ध करना एवं अभिलेखों को सुरक्षित रखना।

संस्था के कार्यों के लिए अध्यक्ष की अनुमति एवं स्वीकृति से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतनमान का निर्णय, स्थानान्तरण एवं निलम्बन व कार्यमुक्ति प्रस्तावित करना एवं इस सम्बन्ध में अध्यक्ष की आज्ञा को क्रियान्वित करना।

संस्था के लिये प्राप्त धन की रसीद देना तथा संस्था के किसी भी पदाधिकारी, सदस्य व कर्मचारी को अध्यक्ष की अनुज्ञा से इस कार्य के लिए अधिकृत करना। संस्था को प्राप्त चल–अचल सम्पत्ति को अध्यक्ष के संज्ञान मे लाकर प्राप्ति रसीद देना। संस्था की सम्पत्ति से सम्बन्धित क्रय, अनुबंध नियमानुसार करना जिसके लिए अध्यक्ष की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है।

6– संस्था की ओर से या उसके प्रति कोई भी विवाद महामंत्री के नाम से दायर होगा। विवाद व वैधानिक कार्यवाही के लिए वाद या प्रतिवाद व प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना, पैरवी करना तथा उन में से किसी भी कार्य के लिए किसी भी पदाधिकारी व सदस्यों को अधिकृत करना। लेकिन समझौता करते समय अध्यक्ष की लिखित अनुमति परम आवश्यक होगी, साथ ही ऐसे मामलों में अध्यक्ष को दैनन्दिन जानकारी देना भी आवश्यक होगा।

7– ढाई हजार रुपये तक व्यय की स्वीकृति देना तथा ऐसे व्ययों को अध्यक्ष के संज्ञान में लाना।

अध्यक्ष
जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था
मथुरा

महामंत्री
जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था
मथुरा

जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, मथुरा
कोषाध्यक्ष

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

8– वित्तीय वर्ष के आरम्भ में या उचित समय पर अनुमानित आय–व्यय का वजट प्रवन्ध समिति के समक्ष विचारार्थ रखना। वार्षिक सामान्य सभा में पिछले 31 मार्च तक के पूरे वर्ष के आय–व्यय का विवरण प्रस्तुत करना।

9– संस्था के कार्यालय की सुचारू रूप से व्यवस्था करना। पत्रों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना व अन्य सब आवश्यक कार्य जो संस्था के हित में हो तथा जिसकी अनुमति अध्यक्ष से ली गयी हो, करना।

(द) मंत्री के अधिकार व कर्तव्य –

1– महामंत्री की अनुपस्थिति में अध्यक्ष निर्देशित मंत्री महामंत्री के अधिकारों व कर्तव्यों का पालन करेगा।

2– महामंत्री को उसके कार्यों में सहयोग करना तथा प्रदत्त कार्यो को करना।

(य) कोषाध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य –

1– संस्था के आय–व्यय का लेखा–जोखा व्यवस्थित ढंग से रखना तथा महामंत्री के संज्ञान में लाना।

2– संस्था के लिए प्राप्त धन की रसीद देना।

3– संस्था के नाम प्राप्त चैक, ड्राफ्ट, मनीआर्डर आदि को संस्था के खाते में जमा करना तथा बैंक या डाकखानें मे संस्था के नाम से खाता खोलना। अध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से चैक रूपये निकालने के प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना तथा बैंक के खाते से सम्बन्धित अन्य कार्य करना।

4– समस्त आर्थिक स्थिति से महामंत्री के माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी महाराज को अवगत कराना।

13– आर्थिक व्यवस्था–

1– संस्था आय या सम्पत्ति को संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में लगाया जायेगा। संस्था का कोई भी सदस्य या पदाधिकारी उसकी आय या सम्पत्ति या उसके किसी अंश से निजी लाभ नहीं उठा सकेगा।

2– संस्था का खाता राष्ट्रीयकृत बैंकों मे खोला जायेगा। बैंक में खाता खोलने व चैकों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार संस्था अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष को संयुक्त रूप से होगा। विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष अकेले भी बैंक खातों का संचालन कर सकते हैं। बैंक के अलावा डाकघर से भी खाता खोला जा सकेगा।

संस्था के आय के स्त्रोत निम्न लिखित होंगे–

क– सदस्यता शुल्क के रूप में प्राप्त धन।

ख– सेवादानी सहयोग के रूप में प्राप्त धन।

ग– श्रद्धालुओं द्वारा दान के रूप में प्राप्त धन जो खाद्य सामग्री वस्तुओं आदि के रूप में भी हो सकता है।

घ– गोलक (गुप्तदान) से प्राप्त धनराशि।

ड.– संस्था के जमा धन पर बैंक तथा डाकघर से प्राप्त व्याज।

च– संस्था की सम्पत्तियों से प्राप्त किराया।

छ– संस्था के कृषि उत्पादों से प्राम्त धन।

ज– समान उद्देश्य वाली धर्मादा संस्थाओं से प्राप्त धन।

झ– संस्था, सत्संग तथा संतमत के प्रचार प्रसार हेतु अर्थ,द्रव्य धातु एवं वस्तु के रूप में प्राप्त धन।

ञ– आश्रम के निर्माण हेतु तथा गोशाला, पशुचिकित्सालय, अस्पताल, स्कूल आदि के भवन निर्माण हेतु, छात्रों की पुस्तकें, कांपियां, वर्दियां, खाद्य सामग्री और पानी, विद्युत की सप्लाई तथा निःशुल्क दवा हेतु तथा अन्य जनहित में सत्संगी, गैर सत्संगी तथा समान उद्देश्य वाली धर्मादा

अध्यक्ष
जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था
मथुरा

महामंत्री
जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था
मथुरा

जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, मथुरा
कोषाध्यक्ष

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
कार्या० उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
05.4.23

(9)

संस्थाओं से प्राप्त धन (द्रव्य, धातु, वस्तु, खाद्य सामग्री) के रूप में प्राप्त धन।

(108)

14— अंकेक्षण (आडिट)—

संस्था के आय–व्यय सम्पत्ति एवं खातों का संस्था के नियमों के अन्तर्गत तथा शासकीय प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष में अंकेक्षण सनदि लेखापाल (चार्टड एकाउन्टेन्ट) द्वारा कराया जायेगा।

15— नियमावली संशोधन—

संस्था की नियमावली व उद्देश्यों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन, कमी, योग, एकीकरण आदि प्रबन्ध समिति अध्यक्ष की अनुमति से करेगी। उसके लिए वह संविधान संशोधन समिति का गठन कर सकती है तथा प्रस्तावित संशोधन परिवर्तन, परिवर्धन, योग, कमी, एकीकरण, प्रबन्ध समिति की विशेष बैठक में 3/5 के बहुमत से पारित किया जायेगा बैठक से पूर्व संविधान संशोधन का आलेख्य प्रबन्ध समिति के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों को भेजा जायेगा तत्पश्चात् सामान्य सभा द्वारा उसका अनुमोदन एवं पुनर्नुमोदन, नियमानुसार एवं अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति करायी जायेगी। यह समस्त कार्यवाही सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 4(क), 12 तथा नियम 5 के अन्तर्गत की जायेगी।

16— विघटन—

संस्था को यदि किसी कारण विघटित करना पड़े तो अध्यक्ष द्वारा प्रबन्ध समिति के विचार एवं संस्तुति पर समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्यों वाली संस्था में विलय कर दी जायेगी। संस्था विघटन एवं विघटित सम्पत्तियों का निस्तारण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अनुसार किया जायेगा।

17— विविध

1— इस संस्था का एक झंडा आयताकार सफेद कपड़े का होगा जिस पर हिन्दी अथवा अन्य किसी भाषा में प्रायः लाल या किसी अन्य रंग में 'जयगुरुदेव' या 'जयगुरुदेव नाम प्रभु का' अंकित होगा।

2— "जयगुरुदेव" नाम सर्वशक्तिमान प्रभु का नाम है। इसलिए संस्था के अभिलेखों, प्रमाण–पत्रों, संस्था सम्बन्धी लिखा पढ़ी, पत्रव्यवहारों, प्रचार व प्रसार में इस नाम का प्रयोग किया जाता है। यह प्रभु का नाम इस संस्था के उद्देश्यों के प्रचार का नारा भी है।

अध्यक्ष
जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था
मथुरा

जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, मथुरा
कोषाध्यक्ष

महामंत्री
जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था
मथुरा

JAIGURUDEV Dharam Pracharak Sanstha MATHURA

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
05-11-23

Scanned with CamScanner

जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, मथुरा (उ.प्र.) की
प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची वर्ष 2021–22

क्र.	पदाधिकारी / सदस्य का नाम व पता	पद	व्यवसाय
	दिवंगत परम् पूज्य स्वामी तुलसीदासजी महाराज उपाख्य बाबा जयगुरुदेव जी महाराज जयगुरुदेव योगस्थली, आगरा–दिल्ली बाईपास, मथुरा (उ.प्र.) 281004	संस्थापक	
1.	**श्री पंकज कुमार** जयगुरुदेव आश्रम, आगरा–दिल्ली बाईपास रोड, मथुरा (उ.प्र.) 281004	अध्यक्ष	संगत सेवा
2.	**श्री मनुभाई डी.पटेल** 16, श्री सोसायटी, पंचवटी दूसरी गली, अम्बावाडी, अहमदाबाद, गुजरात–380006	उपाध्यक्ष	व्यापार
3.	**श्री बाबूराम यादव** जयगुरुदेव आश्रम, आगरा–दिल्ली बाई पास, मथुरा–281004	महामंत्री	संगत सेवा
4.	**श्री विनय कुमार सिंह** सागर हाइट्स, फ्लैट नं. 703–704, [illegible] नं. 2 कुरार विलेज, मलाड (ईस्ट) मुम्बई–97	मंत्री	व्यापार
5.	**श्रीमती आशा देवी यादव** जयगुरुदेव आश्रम, आगरा–दिल्ली बाई पास मथुरा–281004	कोषाध्यक्ष	संगत सेवा
6.	**श्री सन्त राम चौधरी** ग्राम–भिटौरा उत्तर, पो.आ.–जीवत वाया [illegible]–224155, जिला–अम्बेडकर नगर (उ.प्र.)	सदस्य	समाज सेवा

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

Scanned with CamScanner

जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची वर्ष 2021–22

7.	**श्री अवधेश मणि त्रिपाठी** एस–1/35–46, श्यामनगर कॉलोनी, केन्द्रीय कारागार मार्ग, पोस्ट–कैन्ट वाराणसी (उ.प्र.)–221002	सदस्य	सेवानिवृत
8.	**श्री विजयपाल सिंह** एस–611, डी. स्कूल ब्लॉक, नेहरू एन्क्लेव, शकरपुर, दिल्ली–110092	सदस्य	सेवानिवृत
9.	**श्री बुधराम यादव** जयगुरुदेव फ्रूट एवं सब्जी मर्चेन्ट, नारनौल रोड, मण्डी अटेली–123021 जिला–महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)	सदस्य	कृषि
10.	**श्री राम उजागिर चौधरी** करनपुर, पो. मन्झरिया विक्रम, वाया बस्ती, जिला–बस्ती–272001 (उ.प्र.)	सदस्य	कृषि
11.	**श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव** जयगुरुदेव आश्रम, दिल्ली–आगरा बाई पास रोड, मथुरा (उ.प्र.) 281004	सदस्य	संगत सेवा
12.	**श्री सुरेश चन्द गुप्ता** 119, सुन्दर मोहल्ला, चन्दौसी, जिला–सम्भल (उ.प्र.) 202412	सदस्य	सेवानिवृत
13.	**डा. ओम प्रकाश गर्ग** थर्ड एफ, 71/7ए, नेहरू नगर, राकेश मार्ग, गाजियाबाद (उ.प्र.) 201001	सदस्य	सेवानिवृत
14.	**श्री भास्कर एम.पटेल** जयगुरुदेव आश्रम, दिल्ली–आगरा बाई पास रोड, मथुरा (उ.प्र.) 281004	सदस्य	व्यापार
15.	**श्री भरत कुमार टी. मिस्त्री उर्फ नानक भाई** जयगुरुदेव आश्रम, दिल्ली–आगरा बाई पास रोड, मथुरा (उ.प्र.) 281004	सदस्य	संगत सेवा
16.	**श्री सतीश चन्द्र यादव** ग्राम खानपुर, पो. सन्जरपुर, जिला–आजमगढ़ (उ.प्र.)–223227	सदस्य	कृषि

क्रमशः पृष्ठ 3 पर

Scanned with CamScanner

जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची वर्ष 2021–22

17.	**श्री अनूप कुमार सिंह** जयगुरुदेव आश्रम, दिल्ली–आगरा बाई पास रोड, मथुरा (उ.प्र.) 281004	सदस्य	कृषि
18.	**श्री रोहिताश कुमार गुप्ता** जयगुरुदेव आश्रम, दिल्ली–आगरा बाई पास रोड, मथुरा (उ.प्र.) 281004	सदस्य	धार्मिक सेवा
19.	**श्री आनन्द बहादुर सक्सेना** जयगुरुदेव आश्रम आसाम रोड चौराहा, पीलीभीत (उ.प्र.)–262001	सदस्य	सेवानिवृत
20.	**श्री पुष्पेन्द्र यादव** लायर्स कॉलोनी, आगरा (उ.प्र.)	सदस्य	नौकरी
21.	**श्री अरुन यादव** जयगुरुदेव आश्रम सुन्दरपुर, पो. रजुआमऊ, जिला–औरैया (उ.प्र.)–206250	सदस्य	कृषि
22.	**डा. सहदेव** जयगुरुदेव आश्रम, मिर्री चौराहा पुरवा, जिला–उन्नाव (उ.प्र.)–209825	सदस्य	कृषि
23.	**श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह** प्रा. स्वा. केन्द्र, इन्दरगढ़, जिला–कन्नौज–209793 (उ.प्र.)	सदस्य	नौकरी
24.	**श्री धर्म राज यादव** 217, कोरल अपार्टमेंट, रामप्रस्थ ग्रीन, सैक्टर–7, वैशाली, गाजियाबाद (उ.प्र.)–201001	सदस्य	सी. ए.
25.	**श्री इन्द्रदेव यादव** जयगुरुदेव आश्रम, आंकुशपुर–सहेड़ी पो. कुसुम्ही कलां 233302 जिला–गाजीपुर (उ.प्र.)	सदस्य	सेवानिवृत

क्रमशः पृष्ठ 4 पर

Scanned with CamScanner

जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची वर्ष 2021–22

26.	**श्री राधेश्याम यादव** जयगुरुदेव आश्रम नगवा, पो. जैतपुर, जिला–गोरखपुर (उ.प्र.)–273212	सदस्य	व्यापार
27.	**श्री पूरन चन्द मिश्रा** आम्रपाली ग्रैण्ड, प्लॉट नं. जी.एच. 09, सेक्टर जीटा–1, ग्रेटर नोएडा–201308 जिला–गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.)	सदस्य	व्यापार
28.	**श्री जसवंत प्रसाद चौरसिया** ग्राम हेतिमपुर, पो. शिकारगंज वाया चकिया–232103, जिला–चन्दौली (उ.प्र.)	सदस्य	कृषि
29.	**श्री ऋषिदेव श्रीवास्तव** ग्राम–देनुआ, पो. घनश्यामपुर–222111, जिला–जौनपुर (उ.प्र.)	सदस्य	कृषि
30.	**श्री रामचन्द्र यादव** जयगुरुदेव आश्रम, सतरिख–225122, जिला–बाराबंकी (उ.प्र.)	सदस्य	कृषि
31.	**श्री मुहम्मद ईसा** ग्राम व पो. बरौली (जाटा) जिला–बाराबंकी–225302 (उ.प्र.)	सदस्य	व्यापार
32.	**श्री सतीश उपाध्याय** जयगुरुदेव आश्रम, आगरा–दिल्ली रोड, मथुरा–281004 (उ.प्र.)	सदस्य	संगत सेवा
33.	**श्री फूल कुमार यादव** ई. डी.–18, डायमण्ड डेयरी कॉलोनी, उदयगंज लखनऊ (उ.प्र.)226001	सदस्य	नौकरी
34.	**श्री उदय प्रताप सिंह** जयगुरुदेव साधना मंदिर, नया पुरवा, निराला नगर, रायबरेली–229001 (उ.प्र.)	सदस्य	कृषि
35.	**श्री ओमवीर सिंह** ग्राम व पो.आ.–विक्रमपुर चकौरा वाया निगोही, जिला–शाहजहाँपुर (उ.प्र.)–242407	सदस्य	कृषि

क्रमशः पृष्ठ 5 पर

Scanned with CamScanner

जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची वर्ष 2021–22

36.	**श्री सूर्यबली सिंह** जयगुरुदेव आश्रम, चिलबिला (निकट चिलबिला रेलवे क्रासिंग) पो.आ. माधवगंज जिला प्रतापगढ़ (उ.प्र.)–230403	सदस्य	कृषि
37.	**श्री सुखदेव यादव** 127/9 डब्ल्यू–1 साकेत नगर, पराग डेयरी के सामने, कानपुर नगर (उ.प्र.) 208014	सदस्य	व्यापार
38.	**श्री राजेश पाल** ग्राम– नियामतपुर खुर्द, पो0आ0– भवानीपुर, तहसील– चुनार जिला– मीरजापुर (उ.प्र.) 231304	सदस्य	कृषि
39.	**श्री सुभाष पाल** चन्द ग्राम मियांपुर, पो0आ0 डेहरी, जिला जौनपुर (उ.प्र.) 223103	सदस्य	कृषि
40.	**श्री कंचन प्रताप श्रीवास्तव** जयगुरुदेव आश्रम, आगरा दिल्ली रोड, मथुरा (उ.प्र.) 281006	सदस्य	धार्मिक सेवा
41.	**श्री अखिलेश कुमार यादव** ग्राम अमरा पो.आ. शिकारगंज, तह. चकिया जिला चन्दौली (उ.प्र.) 232103	सदस्य	कृषि
42.	**श्री नीरज** जयगुरुदेव आश्रम, आगरा दिल्ली रोड, मथुरा (उ.प्र.) 281006	सदस्य	वकालत
43.	**श्री बी.एन. नीलाजागी** जयगुरुदेव आश्रम, ब्याकुड़, ता. रायबाग, जिला–बेलगाम (कर्नाटक) 560017	सदस्य	सेवानिवृत
44.	**श्री जीतूभाई आर. पटेल** 24, कामेश्वर ट्विन्स, माणिक बाग सोसायटी के पास बेजलपुर श्रेयस टेकरा, योगा नर्सरी के सामने, अहमदाबाद–380015 (गुज.)	सदस्य	व्यापार
45.	**श्री माधव लछमन पाटिल** प्लॉट नं. 473, महादेव नगर 2, डिन्डोली गांव के बगल, उधना, सूरत (गुजरात)–349210	सदस्य	व्यापार

क्रमशः पृष्ठ 6 पर

Scanned with CamScanner

जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची वर्ष 2021–22

46.	**श्री भगीरथ एम. पटेल** 16–श्री सोसायटी, पंचवटी, दूसरी गली, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद–380006 (गुजरात)	सदस्य	व्यापार
47.	**श्री हंसमुखभाई पी. चावड़ा** 458 / 2676, गुजरात हाउसिंग बोर्ड, पटेल बाड़ी के सामने कवि नगर के अन्दर, घण्टी स्टैण्ड, बापूनगर, अहमदाबाद–380024 (गुज.)	सदस्य	व्यापार
48.	**श्री मनसुख भाई पटेल** 21, राज लक्ष्मी सोसायटी, इण्डिया कॉलोनी के पीछे, बापू नगर अहमदाबाद–382450 (गुजरात)	सदस्य	व्यापार
49.	**श्री राजीव शर्मा** ए / 162, विकासपुरी, नई दिल्ली–110011	सदस्य	व्यापार
50.	**श्री राम सजन यादव** सी–359, न्यू अशोक नगर, दिल्ली–110011	सदस्य	व्यापार
51.	**श्री राम प्यारे तिवारी** आर.जेड. 336, फर्स्ट फ्लोर, गली नं. 11 डी कैलाशपुरी विस्तार, नासिरपुर, द्वारका, नई दिल्ली–110045	सदस्य	सेवानिवृत
52.	**श्री भुआल यादव** जयगुरुदेव आश्रम धनबाद ग्राम चरकी पहाड़ी पो.आ. ब्राहम्नडीहा–828402 जिला धनबाद (झारखण्ड)	सदस्य	सेवानिवृत
53.	**श्री मृत्युन्जय झा** ग्राम–मोहनपुर, पो.–रेवासी, वाया–रीगा, जिला–शिवहर, (बिहार)–843365	सदस्य	कृषि
54.	**श्री चन्द्रेश्वर यादव** जयगुरुदेव आश्रम पीपरघाटी, पो.आ.–चीलमी–824211 जिला–गया (बिहार)	सदस्य	कृषि

क्रमशः पृष्ठ 7 पर

Scanned with CamScanner

जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची वर्ष 2021–22

55.	**श्री ओम प्रकाश गोयल** जयगुरुदेव डेयरी, पुराना हलवाई खाना, भिण्ड (म.प्र.)–477001	सदस्य	सेवानिवृत
56.	**श्री विजय बहादुर दोहरे** 21 कस्तूरबा गांधी गृह निर्माण समिति, सुमंगल गार्डन, रतलाम (म.प्र.)457001	सदस्य	सेवानिवृत्त
57.	**श्री राजेन्द्र सिंह** ग्राम व पो. उमरी–477331 जिला भिण्ड (म.प्र.)	सदस्य	वकालत
58.	**श्री पुरुषोत्तम सी काले** 4,गुरुदेव कॉलोनी, पंकज भवन, पुराना मेहरून रोड़, जलगांव–425001 (महा.)	सदस्य	सेवानिवृत
59.	**श्री पाण्डुरंग मंगलू मण्डल** जयगुरुदेव आश्रम, मण्डल कम्पाउण्ड, आदिवासी पाड़ा बागले इस्टेट–थाना (महा.)–400064	सदस्य	व्यापार
60.	**श्री विष्णु कुमार सोनी** कृष्णा ज्वैलर्स, सदर बाजार, जहाजपुर, जिला–भीलवाड़ा–305409 (राज.)	सदस्य	व्यापार
61.	**श्री रूघाराम मील** चरन सिंह नगर–सीकर (राज.)–332001	सदस्य	ठेकेदारी
62.	**श्री मदनलाल यादव** वार्ड नं. 13, रामनगर, शिश्यूं जिला–सीकर (राज.)–332403	सदस्य	कृषि
63.	**श्री भागीरथ चौधरी** मनीषा फिलिंग स्टेशन, चौमू रोड अजीतगढ़ अमरसर जिला–सीकर (राज.)–332411	सदस्य	सेवानिवृत
64.	**श्री रामस्वरूप यादव** रामचन्द्रपुरा, अजमेर रोड, पो.आ. महापुरा जिला–जयपुर (राज.)–302026	सदस्य	व्यापार

क्रमशः पृष्ठ 8 पर

Scanned with CamScanner

जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची वर्ष 2021–22

65.	**श्री टोडा राम** प्लॉट नं.–57, आनन्द विहार बी, डाडी का फाटक, झोठवाड़ा जयपुर–302012 (राज.)	सदस्य	नौकरी
66.	**श्री बाबूलाल शर्मा** परशुराम कॉलोनी, भाड़ावास रोड, रेवाड़ी–123401 (हरियाणा)	सदस्य	व्यापार
67.	**श्री चन्दन सिंह** ग्राम व पो.–जवा–127310 तहसील–चर्खी दादरी, जिला–भिवानी (हरियाणा)	सदस्य	सेवानिवृत
68.	**श्री राम अवतार खैरवाल** आई. टी. आई. के सामने, महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)–123029	सदस्य	वकालत
69.	**श्री प्रकाश पाल** प्लॉट नं. 8, गली नं.–1, रामनगर, मुंडिया कलां, 33 फुटा रोड, लुधियाना (पंजाब)–147015	सदस्य	नौकरी
70.	**श्री प्रदीप कुमार महांकुड** एल. आई. सी. कॉलोनी, फर्स्ट लेन, भंज नगर–761126,जि. गंजाम (उड़ीसा)	सदस्य	नौकरी
71.	**श्री सुजीत सरकार उर्फ तापस सरकार** आर. के. रोड, सैंथिया–731234, जिला–बीरभूम (प.बं.)	सदस्य	नौकरी

——— ✲✲✲ ———

Scanned with CamScanner